पंजीकरण संख्या 37937/2000

1. समिति का नाम - **अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ**

2. पंजीकृत कार्यालय - समिति का पंजीकृत कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ही रहेगा ! समिति का वर्तमान पता निम्न पते पर होगा :-

ए- 2/20, पश्चिम विहार , नई दिल्ली 110063

3. संस्था का कार्य क्षेत्र - संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा !

4. उद्देश्य :-

१. भारत के विश्वकर्मा समुदाय के आर्थिक, सामजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, औधोगिक विकास के लिए काम करना !

२. विश्वकर्मा समुदाय के सम्बन्धित पांचाल, जांगिड, धीमान, टांक, रामगढ़िया, मनु, मय, त्वष्टा, देवज्ञ, शिल्पी की विश्वकर्मणीय संस्थाओं में आत्मीयता, बंधुत्वभाव, सद्भावना तथा एकस्यता स्थापित करना !

३. विश्वकर्मा समुदाय में पारस्परिक रिश्ते स्थापित करना !

४. विश्वकर्मा समुदाय के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, सभा भवन, चिकित्सालय, सहकारी समिति, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान आदि का निर्माण करना और उन्हें चलाना और सरकारी अधिकारियों से मान्यता प्राप्त करवाना !

५. विश्वकर्मा साहित्य का प्रकाशन, प्रसार-प्रचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करना !

६. विश्वकर्मा समुदाय की रूढ़िवादी कुरीतियों को दूर करना एवं आदर्श, आधुनिक परिचय सम्मलेन, सामूहिक विवाह आदि प्रगतीशील कार्यक्रमों को अपनाना !

७. विश्वकर्मा समुदाय के युवक- युवतियों के लिए ओद्योगिक सहकारी सस्थाओं का निर्माण तथा आर्थिक उत्थान एवं स्वावलंबी जीवन के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार से ऋण, भूमि आदि सुविधा उपलब्ध करवाना !

८. विश्वकर्मा समाज के गरीब लोगों के उत्थान हेतु हर संभव सहायता प्रदान करना एवं करवाना !

९. सामान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना !

१०. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना !

११. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चंदा, ऋण, अनुदान आदि द्वारा धन एकत्रित करना !

१२. अन्य वे समस्त सभी कार्यों को करना जो कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, सहयोगात्मक व विधि संगत होंगे !

समिति की चल या अचल सम्पत्ति से प्राप्त सारी आय, कमाई अंतर्नियमों में उल्लिखित समिति के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूर्णत: उपयोग की जाएगी तथा इसका कोई भी लाभ समिति के वर्तमान या निवर्तमान सदस्यों को या वर्तमान या निवर्तमान सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले किसी एक या अधिक व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया जाएगा या लाभ प्राप्त नहीं करेगा या किसी प्रकार से चल या अचल संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेगा या इसकी सदस्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करेगा !

पंजीकरण संख्या 37937/2000

समिति के नियम एवं उपनियम

1. <u>समिति का नाम</u> - अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ

2. <u>सदस्यता</u>

<u>सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित अहर्तताएं आवश्यक होंगी !</u>

१. 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु का विश्वकर्मा समुदाय का कोई भी व्यक्ति संघ का सदस्य बन सकेगा !

२. विश्वकर्मा समाजों के सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ के सदस्य होंगे !

३. किसी प्रकार का नैतिक दोषी न हो तथा किसी भी अपराध में न्यायालय से किसी प्रकार से दण्डित न किया गया हो !

४. किसी भी सदस्य की सदस्यता नियम के विरुद्ध समाप्त नहीं की जायेगी तथा उसकी सूचना सबको दी जायेगी !

५. यदि समिति किसी को मैम्बर बनाने से इन्कार करेगी तो उसकी सूचना भी देगी !

६. सदस्यता शुल्क:-

क* साधारण सदस्य शुल्क त्रयमासिक 25 रुपये

ख* आजीवन सदस्य शुल्क 501 रुपये

ग* संस्थागत सदस्य शुल्क 501 रुपये

3. <u>सदस्यता से वंचित होना</u> :-

१. त्यागपत्र देने पर !

२. मृत्यु अथवा पागल हो जाने पर !

३. नियम एवं उपनियम के उलंघन करने पर !

४. किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किये जाने पर !

५. लगातार तीन साल का चंदा न देने की सूरत में !

६. सदस्यता समाप्ति की सूचना सदस्य को दी जायेगी !

७. यदि समिति किसी को समिति से बाहर निकालेगी तो उसकी सूचना सबको दी जायेगी ! ऐसे सब सदस्यों को साधारण सभा में अपील करने का अधिकार होगा ! इसमें साधारण सभा का निर्णय अंतिम होगा !

4. <u>सदस्यों के अधिकार</u> :-

क* हर सदस्य को साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार होगा !

ख* दो सप्ताह का नोटिस देकर कार्यकारिणी की अनुमति से समिति के रिकार्ड चैक करने का अधिकार होगा !

ग* समिति के चुनाव में वोट देने का अधिकार हर सदस्य को होगा !

घ* एक समय में एक पद के लिए कोई भी सदस्य चुनाव में भाग ले सकता है !

5. <u>अपील</u> :-

सभी अपीलें समिति की आम सभा में की जा सकती हैं ! आम सभा का निर्णय अंतिम होगा !

6. <u>पुन:प्रवेश :-</u>

यदि सम्बन्धित सदस्य सारी पिछली रकम जमा करा देगा तो उसे पुन: प्रवेश दिया जा सकता है ! इस संबन्ध में आम सभा का निर्णय अंतिम होगा !

7. <u>संस्था की कार्यकारिणी का गठन एवं पद निम्न प्रकार से होंगे</u>:-

संस्था की कार्यकारिणी में कम से कम 39 और अधिक से अधिक 125 सदस्य होंगे !

१. अध्यक्ष_____ एक

२. वरिष्ठ उपाध्यक्ष _____ एक

३. उपाध्यक्ष_____कम से कम आठ और अधिक से अधिक 15

४. वरिष्ठ महामंत्री _____ एक

५. महामंत्री _____कम से कम एक और अधिक से अधिक 7

६. मंत्री _____ कम से कम 4 और अधिक से अधिक 20

७. प्रचार मंत्री _____ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5

८. संगठन मंत्री _____ कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5

९. कोषाध्यक्ष_____एक

१०. सह कोषाध्यक्ष_____ कम से कम शून्य और अधिक से अधिक एक

११. कार्यकारिणी सदस्य _____ कम से कम 19 और अधिक से अधिक 68

8. समिति की कार्यकारिणी के कर्तव्य :-

क. समिति की कार्यकारिणी की बैठक चार माह में एक बार होनी अनिवार्य होगी ! इसके लिए दस दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा ! आपातकालीन बैठक तत्काल बुलाई जा सकेगी !

ख. समिति के समस्त कार्यों की देखभाल कार्यकारिणी करेगी !

ग. समिति के कार्यों के लिए कर्मचारी आदि रखना, निकालना अथवा उनका वेतन बढाना या घटाना आदि कार्य कार्यकारिणी के जिम्मे होगा !

घ. कार्यकारिणी समिति हर राज्य की या जिला स्तर की समितियों का कंट्रोल करेगी !

ङ. समिति के कार्य में उत्पन्न किसी प्रकार के व्यवधान का समाधान कार्यकारिणी करेगी !

9. प्रबन्ध :-

कोष व्यवस्था सहित समिति की सभी चल व अचल सम्पति के प्रबंध करने का उत्तरदायित्व कार्यकारिणी पर ही होगा !

10. संगठन का स्वरुप :-

क. अखिल भारतीय स्तर

ख. प्रादेशिक स्तर

ग. संभागीय स्तर (कमिश्नरी मंडल)

घ. जिला स्तर

11. चुनाव प्रक्रिया:-

जो भी सदस्य होगा वह मतदान में भाग लेगा ! जिला स्तर पर मत सीधा दिया जाएगा और उसके बाद प्रतिनिधि चुनेंगे !

क. जिला प्रतिनिधि

ख. सम्भाग प्रतिनिधि

ग. प्रदेश प्रतिनिधि

घ. अखिल भारतीय प्रतिनिधि

12. संघ की पदाधिकारी संख्या :-

क. जिला स्तर- 31 सदस्य (पदाधिकारी, सदस्य)

ख. सम्भाग स्तर- 51 सदस्य (पदाधिकारी, सदस्य)

ग. प्रदेश स्तर- 71 सदस्य (पदाधिकारी, सदस्य)

घ. अखिल भारतीय स्तर- 125 सदस्य (पदाधिकारी, सदस्य)

13. संगठन की रचना :-

संघठन नियमानुसार 4 स्तरीय होगा 1.जिला 2. सम्भाग (कमिश्नरी) 3. प्रदेश 4. अखिल भारतीय ! शहर द्वारा निर्धारित जिला क्षेत्र पर जिला समिति बनेगी ! बड़ी संख्या के शहर शासन द्वारा निर्धारित नगर निगम या महापरिषद क्षेत्र पर जिला के समकक्ष शहर समिति बनेगी !

क. **जिला कार्यकारिणी :-**

जिला कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 31 होगी जिसमें पदाधिकारी की संख्या 10, अध्यक्ष -------एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष-------एक, उपाध्यक्ष----दो, महामंत्री ----एक मंत्री----तीन, प्रचार मंत्री -----एक, संगठन मंत्री---एक, कोषाध्यक्ष ----एक तथा 21 कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे !

चुनाव प्रक्रिया :-

जिला कार्यकारिणी के चुनाव के मतदान में जिला क्षेत्र के सभी सदस्य भाग ले सकेंगे ! पदाधिकारी पद की पात्रता मात्र आजीवन सदस्यों की रहेगी ! कार्यकारिणी में कम से कम

10% सदस्य साधारण सदस्यों में से चुने जाएंगे ! जिला कार्यकारिणी में चुने गए 5% संभागीय समिति के सदस्य होंगे ! जिनमें से एक सदस्य साधारण सदस्यों में से चुना जाएगा !

ख. **<u>संभागीय प्रतिनिधि सभा समिति:-</u>**

शासन द्वारा निर्धारित संभाग (कमिश्नरी) स्तर पर संभागीय समिति बनेगी ! संभागीय समिति की संख्या 31 रहेगी जिला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलों का समान प्रतिनिधित्व रहेगा ! समिति की कार्यकारिणी के पदाधिकारी 13

अध्यक्ष -------एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष-------एक, उपाध्यक्ष----तीन, महामंत्री ----एक मंत्री----चार, प्रचार मंत्री -----एक, संगठन मंत्री---एक, कोषाध्यक्ष ----एक तथा 18 कार्यकारिणी सदस्य होंगे !

<u>चुनाव प्रक्रिया :-</u>

प्रत्येक जिले के चुने हुए प्रतिनिधियों से संभागीय प्रतिनिधि सभा बनेगी ! प्रतिनिधियों में से संभागीय कार्यकारिणी निर्वाचित की जाएगी ! संभागीय प्रतिनिधि सभा से पांच प्रतिनिधि प्रदेश प्रतिनिधि सभा के लिए चुनकर भेजे जाएंगे जिनमें से एक सदस्य साधारण सदस्यों में से निर्वाचित होगा !

ग. **<u>प्रदेश कमेटी / प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा :-</u>**

शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र प्रदेश कमेटी बनेगी ! प्रदेश कार्य कार्यकारिणी की सख्या एक रहेगी ! जिसमें पदाधिकारी/सदस्य कुल संख्या 71 एवं सदस्य संख्या 50 होगी अध्यक्ष-----एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष-----एक, उपाध्यक्ष----पांच, वरिष्ठ महामंत्री----एक, महामंत्री-----तीन,मंत्री----चार, संगठन मंत्री---दो, प्रचार मंत्री---दो, कोषाध्यक्ष----एक सहायक कोषाध्यक्ष-----एक तथा सदस्य 50 (पचास) रहेंगे !

<u>चुनाव प्रक्रिया :-</u>

सभी संभाग से निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रदेश प्रतिनिधि सभा गठित होगी ! इन प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी निर्वाचित की होगी ! निर्वाचित कार्यकारिणी के सभी सदस्य अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य होंगे !

घ. **<u>अखिल भारतीय कमेटी :-</u>**

प्रादेशिक कार्यकारिणी के सदस्यों एवं सम्बंधित संस्थाओं के सभी प्रतिनिधिओं को मिलाकर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का गठन होगा ! अखिल भारतीय कार्यकारिणी की संख्या 125 रहेगी ! जिसमें पदाधिकारी 58 एवं 67 सदस्य रहेंगे ! प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में से अखिल भारतीय कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा !

14. <u>कार्यकारिणी के गठन की पात्रता एवं अधिकार :-</u>

प्रत्येक समिति में 90 % आजीवन सदस्य, 10 % साधारण सदस्य रहेंगे ! प्रत्येक समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा ! संघ की स्थापना के साथ संगठनात्मक कार्यकारिणी सदस्यों एवं पदाधिकारियों का गठन महोनयन पद्दति से होगा जिसकी अवधी 3 वर्ष की रहेगी ! विशेष परिस्थिति में यह अवधी 6 माह बढाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को रहेगा ! नियमों का उलंघन करने पर किसी भी समिति को भंग करने तथा तदर्थ समिति मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ महामंत्री को रहेगा ! प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य:- मनोनयन के अधिकार प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ महामंत्री को रहेंगे ! संभाग समिति में कार्यकारिणी सदस्यों को मनोनीत संभागीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ महामंत्री प्रदेशाध्यक्ष के अनुमोदन द्वारा कर सकेंगे ! जिला समितियों के मनोनयन का अधिकार संभागीय अध्यक्ष एवं संभागीय वरिष्ठ महमंत्री को रहेगा ! कार्यकारिणी सदस्यों का मनोनयन जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री संभागीय अध्यक्ष के अनुमोदन से कर सकेंगे ! संगठन की स्थापना के 3 वर्ष पश्चात् संगठनात्मक शाखाओं के चुनाव संस्था के नियम में उल्लेखित प्रकृति से प्रतिनिधिओं द्वारा निर्वाचन पद्दति से कराये जायेंगे !

15. <u>संस्थाओं में परस्पर पदेन सदस्य :-</u>

क. जिला समितियों के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ महामंत्री संभागीय कार्यकारिणी में पदेन सदस्य रहेंगे ! संभागीय समितियों के सदस्य एवं पदाधिकारी अपनी जिला क्षेत्र की कार्यकारिणी में सहयोगी सदस्य रहेंगे !

ख. संभागीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ महामंत्री प्रदेश कार्यकारिणी में पदेन सदस्य रहेंगे ! तथा प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य अपने अपने संभाग की समिति में सहयोगी सदस्य रहेंगे !

ग. प्रदेश के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ महामंत्री अखिल भारतीय कार्यकारिणी में पदेन सदस्य तथा अखिल भारतीय पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य अपने प्रदेश की कार्यकारिणी में सहयोगी सदस्य रहेंगे !

अखिल भारतीय कमेटी के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करते हुए संगठन की सुद्रढ़ता के लिए एक संरक्षक मंडल एवं एक परामर्श मंडल रहेगा जिसका गठन संघ के प्रमुख पदाधिकारिओं की सलाह से राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे ! इसी प्रकार विश्वकर्मा समुदाय का विभिन्न योजनाओं द्वारा विकास करने के लिए योजना कार्यक्रम निर्धारण हेतु विषय के विशेषज्ञों की विभिन्न समितियों का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा !

16. <u>समिति की साधारण सभा के अधिकार और कर्यव्य :-</u>

क. साधारण सभा की बैठक एक वर्ष में एक बार होनी अनिवार्य होगी ! जिसकी सूचना 30 दिन पूर्व देंनी आवश्यक होगी !

ख. बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा !

ग. समिति की कार्यकारिणी का चुनाव 3 वर्ष बाद गुप्त मतदान अथवा हाथ उठाकर किया जाएगा !

घ. समिति की समस्त आय-व्यय का ब्यौरा आडिट करवाकर साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा ! जिसकी पुष्टि साधारण सभा में करेगी !

ङ. हर प्रादेशिक सभा के बारे में बातचीत करेंगे और समाज की बढ़ोतरी के लिए निर्णय भी लेंगे !

17. समिति की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य:-

१. <u>अध्यक्ष:-</u>

क. साधारण सभा और समिति की कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के आदेश देगा !

ख. समिति के सभी कार्यों एवं सदस्यों की देखभाल करेगा !

ग. बराबर मत आने पर अध्यक्ष को अपना एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा !

घ. हर प्रादेशिक कमेटियों को सुचारू रूप चलाने के लिए आदेश देंगे !

२. <u>वरिष्ठ उपाध्यक्ष:-</u>

ये अध्यक्ष की अदम मोजूदगी में उनके सभी कार्यों को पूरा करेंगे और उनको अपना पूर्ण सहयोग देंगे !

३. <u>उपाध्यक्ष:-</u>

ये वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष व वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अदम मोजूदगी में उनके सभी कार्यों को पूरा करेंगे और उनको अपना पूर्ण सहयोग देंगे !

४. <u>वरिष्ठ महामंत्री :-</u>

क. समिति की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकों को बुलाना, कार्यवाही लिखना, नियमों को क्रियान्वयन कराना, हर किस्म के पत्र व्यवहार करना और प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से चलाना होगा !

ख. वार्षिक विवरण तैयार करके साधारण सभा में प्रस्तुत करेंगे !

ग. समस्त सदस्यों का विवरण रखेंगे !

घ. हर प्रादेशिक कमेटी तथा जिला कमेटी, संभाग कमेटी आदि के बारे में कार्यकारिणी सभा को विवरण देंगे, इनके बारे में प्रस्ताव रखेंगे !

ङ. बिलों को पास करेंगे !

च. समिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने सुझाव कार्यकारिणी के आगे प्रस्तुत करेंगे उसके बाद साधारण सभा में पास करवाएंगे !

५. <u>महामंत्री :-</u>

यह वरिष्ठ महामंत्री की अदम मोजूदगी में उनके सभी कार्यों को पूरा करेंगे और उनको अपना पूर्ण सहयोग देंगे !

६. <u>मंत्री :-</u>

ये वरिष्ठता के क्रम से वरिष्ठ महामंत्री व महामंत्री की अदम मोजूदगी में उनके सभी कार्यों को पूरा करेंगे और उनको अपना पूर्ण सहयोग देंगे !

७. प्रचार मंत्री :-

ये वरिष्ठता के क्रम से समिति का भरसक प्रचार करेंगे ! सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या बढाने का प्रयास करेंगे ! सदस्य बनायेंगे और वरिष्ठ महामंत्री को अपना पूर्ण सहयोग देंगे !

८. संगठन मंत्री:-

ये वरिष्ठता के क्रम से सभी मीटिगों का आयोजन करेंगे ! मीटिंगों के आयोजन में सदस्यों को एकत्रित करेंगे तथा मीटिंगों, सम्मेलनों का कार्यभार संभालेंगे एवं वरिष्ठ महामंत्री को अपने पूर्ण सहयोग देंगे !

९. कोषाध्यक्ष :-

क. यह संस्था की आय -व्यय का हिसाब -किताब सुचारू रूप से रखेंगे !

ख. अध्यक्ष, महामंत्री कार्यकारिणी द्वारा सभी बिलों का भुगतान रसीद लेकर करेंगे !

ग. चंदा इकट्ठा करेंगे !

१०. उप कोषाध्यक्ष:-

यह कोषाध्यक्ष की अदम मोजूदगी में उनके सभी कार्यों को पूरा करेंगे और उनको अपना पूर्ण सहयोग देंगे !

११. सलाहकार समिति:-

ये सलाहकार समिति कानूनी रूप से समिति के विकास एवं सुधार सम्बंधित जनहित कार्यों में अग्रसर रहेंगे और किसी कारण वश समिति किसी स्थिति में उलझ जाती है तो उसकी कानूनी कार्यवाही करेंगे !

१२. कार्यकारिणी सदस्य:-

क. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना !

ख. बैठकों को चलाने में सहयोग देना !

ग. पारित प्रस्तावों के अनुसार समिति के कार्यों में क्रियात्मक सहयोग देना !

18. आय के साधन

क. चंदे द्वारा !

ख. सदस्यता शुल्क द्वारा !

ग. अनुदान द्वारा !

घ. समिति को जो भी आय होगी उसको समिति के उद्देश्यों में ही उपयोग किया जाएगा !

19. धन की सुरक्षा

समिति के धन को सुरक्षा हेतु राष्ट्रीयकृत बैक अथवा डाकखाने में जमा किया जाएगा ! और **रुपया निकालने के लिए कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा** ! **इसके अलावा अध्यक्ष, वरिष्ठ महामंत्री में से किन्ही एक के हस्ताक्षर से रुपया निकाला जा सकता** और हर वर्ष के हिसाब -किताब का ब्योरा कार्यकारिणी सभा से नियुक्त एक क्वालीफाईड आडिटर से आडिट करवाएंगे !

20. त्यागपत्र देना :-

समिति का कोई सदस्य अथवा पदाधिकारी यदि त्यागपत्र देगा है तो उसे कार्यकारिणी सभा में प्रस्तुत किया जायेगा और कार्यकारिणी का निर्णय अंतिम होगा !

21. कोरम (गण पूर्ति):-

कार्यकारिणी सभा व साधारण सभा की बैठकों में 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा इससे कम की उपस्थिति में बैठक स्थगित कर दी जायेगी और स्थगित की गयी बैठक पुन: एक घंटे के पश्चात बुलाई जा सकेगी और पुन: बुलाई गयी बैठक में कोरम का पूरा होना अनिवार्य नहीं होगा !

22. रिक्त स्थान:-

किसी भी पदाधिकारी के त्याग पत्र देने से जो स्थान रिक्त होगा उसकी पूर्ति कार्यकारिणी करेगी किन्तु उसकी पुष्टि साधारण सभा करेगी ! ऐसे चुने गये पदाधिकारियों की कालावधि अगले चुनाव तक की होगी !

23. चुनाव प्रक्रिया :-

कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारियों का चुनाव साधारण सभा में हाथ उठाकर/गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा ! बराबर मत आने पर अध्यक्ष को अपना एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा ! जिन सदस्यों का चंदा देना बकाया होगा उन सस्द्स्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा ! नए चुने गए पदाधिकारियों की सूची उस पद से जाने वाले पुराने तीन पदाधिकारयों से हस्ताक्षर करवाकर समिति पंजीकरण अधिकारी दिल्ली को दी जायेगी !

24. न्यायालय धारा 6 :-

यदि न्यायालय में कोई मुकदमा आदि दायर करना पडा तो वह समिति के नाम से ही दायर किया जाएगा और समिति के नाम से मुक़दमा दायर करने अथवा उसकी पैरवी करने का अधिकार महासचिव को ही होगा जो कि समिति पंजीकरण अधिनयम 1860 की धारा -6 के अनुसार ही होगा !

25. नियम एवं उपनियम में संशोधन धरा -12

समिति के किसी भी नियम एवं उपनियम में यदि कोई संशोधन करना अनिवार्य हुआ तो उसे कार्यकारिणी कर सकेगी किन्तु उसकी पुष्टि साधारण सभा करेगी ! यह समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा -12 के अनुसार ही होगा !

26. ज्ञापन पत्र में संशोधन धारा 12 एवं 12-ए :-

यदि ज्ञापन पत्र में कोई संशोधन करना अनिवार्य हुआ तो साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से समिति को पंजीकरण अधिनियम 1860 धारा 12 एवं 12 -ए के अनुसार किया जा सकेगा !

27. कार्यकारिणी का समय :-

कार्यकारिणी का समय 3 वर्ष होगा जो सभा में हुए चुनाव की अवधी से माना जाएगा !

28. वित्तीय वर्ष:-

समिति का वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होगा !

29. आडिट लेखा परीक्षक:-

समिति के हिसाब-किताब को आडिट करावाकर साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा ! आडीटर की नुयुक्ति कार्यकारिणी करेगी !

30. सूचना देना :-

किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना विधिवत दी जायेगी साधारण सभा की सूचना तीस दिन पूर्व कार्यकारिणी सभा की बैठक की सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व तथा आपातकालीन बैठक 2 घंटे के पश्चात बुलाई जा सकेगी !

31. कार्यकारिणी की वार्षिक सूची (धारा 4):-

हर वर्ष बाद कार्यकारिणी सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची (नाम, पता व पद) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा -4 के अनुसार रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज दिल्ली में जमा की जायेगी !

32. <u>विघटन धारा -13:-</u>

समिति की साधारण सभा में 75 % सदस्यों के बहुमत से समिति को विघटित किया जा सकता है जो कि समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 के अनुसार होगा !

33. <u>निपटान धारा 14 :-</u>

उपरोक्त अनुसार संस्था को विघटन होने के पश्चात उसकी चल व अचल सम्पत्ति को सदस्यों में नहीं बांटा जाएगा अपितु संस्था पंजीकरण अधिनयम 1860 की धारा -14 के अनुसार 75 % सदस्यों के बहुमत से उसे ऐसे ही समान उद्देश्यों वाली समिति को दान के रूप में दिया जाएगा !

34. संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में प्रचलित है के समस्त उपबंध इस संस्था पर लागू होंगे !

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था के नियमों एवं उपनियमों की सही प्रति है !

हस्ताक्षर

अध्यक्ष वरिष्ठ महामंत्री कोषाध्यक्ष